

**NREGA knowledge network**

**\*288. SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA:††**

**PROF. ALKA BALRAM KSHATRIYA:**

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether to implement the National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) in a better way, Government has created a mail group called NREGA knowledge network;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether most of the rural people are not aware of the various schemes of the Ministry and thus have remained unaware of the benefits of the various rural development schemes; and

(d) if so, to what extent the creation of mail group will create awareness amongst rural people about the various rural development schemes?

**THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH):** (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

**Statement**

(a) and (b) Yes, Sir. Ministry of Rural Development has introduced e-knowledge network for effective implementation of NREGA. Innovations at worksites and local solutions are very helpful in meeting the challenges of implementation of NREGA across the country. E-knowledge network helps in lateral transfer of these local solutions, especially among the District Programme Coordinators (DPCs). The knowledge network aims at connecting DPCs and providing solutions on demand through a knowledge pool built up dynamically by exchange of information, ideas and best practices.

(c) No, Sir. Awareness generation is the most important tool for success of all rural development schemes. To ensure that more and more people get benefits under such schemes, Ministry of Rural Development has adopted five pronged strategy for all rural development programmes. These are (i) awareness generation, (ii) people's participation, (iii) transparency, (iv) accountability-social audit through Gram Sabha and (v) strict vigilance and monitoring.

(d) E-knowledge network has been introduced for effective implementation of a demand based programme. As NREGA is demand based, knowledge network helps in meeting the challenges of its implementation across the country. Knowledge network aims at connecting the District Programme Coordinators who are responsible for implementation of NREGA in the districts. For other Rural Development Programmes of the Ministry, the website [www.rural.nic.in](http://www.rural.nic.in) has detailed information.

**SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA:** Sir, I would like to ask the hon. Minister that the purpose of the network was to share knowledge and experiences on NREGA so that the best practices could be used by other States as well. Sir, for instance, the State of Orissa has put into place a very effective MIS, management information system, and also hired trained technical people to implement the system which has actually resulted in a much higher usage. So, Sir, the question that I would like to ask is: What are the significant lessons that have been learnt using this network and whether these experiences have been used by any other State to actually enrich or to make the scheme more effective? Does the Ministry have any details of other States that have shared and used the information?

†† The question was actually asked on the floor of the House by SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, माननीय सदस्य जो ने स्वीकार किया है कि उड़ीसा में इस नेटवर्क का लाभकारी प्रभाव दिख रहा है। देश भर के सभी District Programme Coordinator (DPC) हैं और Central Employment Guarantee Council के सदस्य हैं, उन सभी का आपस में knowledge नेटवर्क का जो कनेक्शन हुआ, उससे एक-दूसरे के विषय में जानकारी, success story, सभी का आदान-प्रदान होता है। इससे दो प्रकार के लाभ हो रहे हैं, एक तो पारदर्शिता आ रही है और जानकारी उपलब्ध हो रही है। साथ ही इसमें निगरानी भी होती है कि कैसे, कहाँ और क्या काम हो रहा है। सब एक-दूसरे जानेंगे, सीखेंगे और जो success story है, उससे भी लोग प्रभावित होंगे। देश के सभी राज्यों में यह शुरू हो गया है और इसके बड़े अच्छे लाभ दिख रहे हैं। सभी जगह इसका स्वागत किया गया है। साथ ही, हमने सभी माननीय सदस्यों के लिए e-mail पर ग्रामीण विकास योजनाओं की मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट देने का निर्णय किया है, चूंकि उन्होंने चिंता व्यक्त किया है। अभी तक 385 माननीय सदस्यों के e-mail एड्रेस उपलब्ध हुए हैं और बाकी सदस्यों से हमने आग्रह किया है कि वे अपना e-mail एड्रेस हमको बताएं। महोदय, मैंने लोक सभा में भी प्रार्थना की है कि सभी माननीय सदस्य इस नेटवर्क से जुड़ जाएं, जिससे इन सभी योजनाओं की मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट उनको दे सकें। जब माननीय सदस्य इन सभी जानकारीयों से अवगत रहेंगे तो उन्हें देख-रेख करने में तथा निगरानी करने में सहायित होगी।

SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA: Sir, my second supplementary is: Can the knowledge network handle cases and complaints of corruption in the implementation of the scheme or any apathy by the officials at that level? Is there a mechanism for handling these kinds of complaints? Has the network received any complaints? And also, Sir, can common people access the network even from their villages?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, इसका मूल उद्देश्य ही zero tolerance towards corruption करना है, उसके लिए हमारे पास पारदर्शिता के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसके लिए पांच सूत्रों का प्रयोग किया गया - (1) Awareness, जानकारी (2) People's participation (3) ग्राम सभा करके social audit को पारदर्शी बनाया जाए ताकि सब लोग जानें (4) Strict vigilance and Monitoring (5) Accountability. महोदय, पांच सूत्री कार्यक्रम चल रहा है, जिससे हम उस पर काबू पा रहे हैं। देश में व्यापक पैमाने पर गांव-गांव में जितना काम हो रहा है, लोगों में जानकारी की भी कमी थी, इसलिए जानकारी कराने का, भागीदारी कराने का, निगरानी करने का और पारदर्शी बनाने का काम चल रहा है। महोदय, इसमें माननीय सदस्यों से ज्यादा सहयोग की जरूरत है। अगर लोग निगरानी करेंगे, तो जो हमारा गोल है, जो हमारा उद्देश्य है, हम जल्दी ही उसकी प्राप्ति कर सकते हैं।

SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA: Sir, I wanted to know whether any complaints have been received. The hon. Minister has not answered that question.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: जी, शिकायतें मिली हैं और उन पर कार्रवाइयां भी हो रही हैं। ... (व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Shobhanaji, you have already put your supplementary.

एक माननीय सदस्य: फिर भी घोटाला हो रहा है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: घोटाला कहीं हो रहा होगा, लेकिन उन पर कार्रवाइयां भी हो रही हैं, लोग पकड़े भी जा रहे हैं।

श्रीमती विप्लव ठाकुर: सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने यहां पर कहा है 'accountability social audit through Gram Sabha' ग्राम सभा में, यह कहा गया है कि 2/3 मेजरिटी होनी चाहिए लोगों की, मैं कहना चाहती हूँ की जब 2/3 मेजरिटी नहीं होती, तो फिर 50 परसेंट आ जाता है, फिर 1/3 आ जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या वे, लोगों को ग्राम सभा जाने के लिए, कोई ऐसा प्रावधान करेंगे कि जो लोग ग्राम सभा में नहीं जाते हैं, उनके लिए कुछ फाइन का प्रावधान किया जाए? क्योंकि जब ग्राम सभा की मेजरिटी ही नहीं होती है और वे वहां जाते ही नहीं हैं तो accountability को आप क्या बात करेंगे। इसलिए, मैं मंत्री जी से

कहना चाहती हूँ कि अगर आप ग्राम सभा को बिल्कुल ठीक बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन हो, तो कुछ ऐसा प्रावधान आप कीजिए।

दूसरी बात, जब ग्राम सभा में लोग जाते हैं तो जो सैक्रेटरीज़ या प्रधान होते हैं, वे बताते हैं कि कोरम पूरा नहीं है, अब सभा हम अगली बार देखेंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि कोरम को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, संविधान की धारा 243 में ग्राम सभा के संबंध में वर्णन किया गया है कि उस पंचायत की चोटर लिस्ट में नामांकित जितने व्यक्ति हैं, सभी लोग उस ग्राम सभा के सदस्य हैं। राज्य ने अपने पंचायती राज एक्ट में कोरम के बारे में अलग-अलग व्यवस्था की है, कहीं-कहीं 1/10 of the total voters, जितने नामांकित सदस्य हैं ग्राम सभा में, उसका एक दहाई जब उपस्थित हो तो उसको लोगों ने कोरम माना है। यह राज्य के अधिकार में आता है, इसलिए सभी लोगों ने अपना अलग-अलग कोरम निर्धारित किया हुआ है। कहीं-कहीं पल्ली सभा - वह बड़ी, विस्तारित ग्राम सभा, जहां 20,000 की आबादी है और वोटर्स की संख्या है, वहां पल्ली सभा का भी प्रयोग हो रहा है। पश्चिमी बंगाल में ग्राम संसद का, उड़ीसा में पल्ली सभा का प्रयोग हो रहा है और जहां छोटी पंचायतें हैं, वहां पंचायत वर्ग की बैठकें होती हैं, ग्राम सभा के रूप में और उनमें सब निर्णय लिए जाते हैं। जहां तक दंड देने का प्रश्न है, यदि कोई सभा में नहीं आए तो उसको दंड दिया जाए, ऐसा कोई विचार अभी नहीं है। अगर लोगों में जागरूकता हो जाए और उन्हें अपने अधिकार की जानकारी हो जाए तो वे स्वयं सभा में उपस्थित होंगे। ग्राम सभा, विधान सभा और लोक सभा, तीन सभाएं हैं, लेकिन ग्राम सभा का अधिकार बहुत भारी है। बाकी दोनों की, विधान सभा और लोक सभा, आयु 5 वर्ष या इसके अंदर निश्चित है, लेकिन ग्राम सभा कभी खत्म ही नहीं होती। ऐसा ग्राम सभा का अधिकार और महत्व है। लेकिन, ग्राम सभा की बैठकें हों, इसके लिए हम राज्य सरकारों पर दबाव डाल रहे हैं कि अनिवार्य रूप से ग्राम सभा की बैठकें हों और ग्रामीण विकास से संबंधित सारे मामले उनमें तय किए जाएं और उनको बताया जाए, जानकारी दी जाए, उनको पारदर्शी बनाया जाए और उनकी विडियोग्राफी वगैरह के लिए भी हमने कहा है, ताकि लोग देख सकें कि कैसे ग्राम सभा हुई और उसमें क्या निर्णय हुआ। निगरानी और social audit का काम ग्राम सभा से ही संभव है, इसलिए ग्राम सभा पर बड़ा भारी जोर दिया जा रहा है।

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, the Minister is such an altruist that whatever happens in his department, he thinks that it is being done on a perfect basis. That is not the case, Mr. Minister. Are you aware that the CAG has recently commented about the misappropriation, about the leakages in the execution of the schemes, and you have been kind enough to order for social audit? But whenever we asked for the reports of the social audit, we were asked to pay the requisite fee under the Right to Information Act. It is a very sorry state of affairs. When we demand the reports of the social audit so that we ourselves can make an inquiry, we were asked to pay the fee under the Right to Information Act... (Interruptions)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, महोदय पार्लियामेंट ने राइट टू इन्फार्मेशन का एक बहुत अच्छा कानून बनाकर देश की जनता को अधिकार दिया है कि वह कोई भी जानकारी किसी भी ऑफिस से ले सकती है। लेकिन, रोजगार गारंटी कानून में यह कमाल है कि राइट टू इन्फार्मेशन का पूरा अधिकार उसी कानून में शामिल है। इसलिए कोई भी व्यक्ति कोई भी सूचना ग्राम सभा में मांग सकता है और वह उसको दी जाएगी या पंचायत कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय से कोई भी व्यक्ति कोई भी सूचना मांगने को अधिकार रखता है। राइट टू इन्फार्मेशन कानून रोजगार गारंटी कानून में शामिल है और इसलिए गांव का जो सबसे अंतिम आदमी है, उसको हमने पेटिशन, दैते हुए और जानकारी मांगते हुए देखा है। इसलिए जानकारी लोगों को हो जाए, आम आदमी तक हम सभी नहीं पहुंच पाए हैं, यह ठीक बात है और इसको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ रहा है और यह योजना पूरी सफलता की ओर जा रही है। 3 करोड़ 6 लाख परिवारों को अभी तक काम मिला है, 120 करोड़ man days सृजित हुए हैं, 12 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, 8 हजार करोड़ गरीबों की पॉकेट में गए हैं, लेकिन पारदर्शिता, भागीदारी, जानकारी जरूरी है, उस पर हम लगे हुए हैं। आज आंध्र में 100 परसेंट भुगतान खाते से हो

रहा है, कर्णाटक में खाते से हो रहा है, 1 करोड़ 8 लाख खाते खुल गए हैं, गरीबों को दान करेंगे सरजमीन पर, भुगतान होगा बैंक या पोस्ट ऑफिस के खाते से। इस पर दृढ़ विचार कर 100 परसेंट भुगतान हम खाते से कराएंगे।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Mr. Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I would like to know from the hon. Minister (a) what is the mechanism adopted by the Government to gauge the performance of NREGA in various States; and (b) whether the Government has got any proposal to further assist the well performing States like Tamil Nadu.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, सारी जानकारियाँ ग्रामीण विकास की website पर उपलब्ध हैं और monthly progress report भी हम भेज रहे हैं। तमिलनाडु की हम प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जो राज्य अच्छा काम करते हैं, उनकी हम प्रशंसा करते हैं, उनका ज्यादा ख्याल रखते हैं। अगर अधिकारी अच्छा काम करेंगे, तो उनको पुरस्कार देने का प्रावधान भी हमने किया है।... (व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Question 289. ... (Interruptions)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I want to know whether further assistance will be extended. ... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Question 289, please. ... (Interruptions)... Mr. Siva, it is over.

SHRI TIRUCHI SIVA: Whether further assistance will be extended... (Interruptions)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: और सहायता देंगे... जो अच्छा काम करेंगे, उनको खूब सहायता देंगे।

#### विशेष आर्थिक क्षेत्र के कारण राजस्व की हानि

\*289. श्री मंगनी लाल मंडल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के कारण सरकार को प्रतिवर्ष एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार का दृष्टिकोण क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के फलस्वरूप होने वाली राजस्व की हानि के संदर्भ में वित्त मंत्रालय एवं वाणिज्य मंत्रालय के अभिमत और दृष्टिकोण में समरूपता नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इसका कारण और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

#### विवरण

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) संसद में प्रस्तुत वर्ष 2007-2008 के आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त मंत्रालय ने विशेष आर्थिक जोन से संबंधित तथ्य प्रस्तुत किए हैं जो निम्नानुसार हैं:—

“विशेष आर्थिक जोनों से निर्यातों में निरंतर वृद्धि प्रदर्शित हो रही है। वर्ष 2005-06 में एसईजेडों द्वारा किए गए 22,840 करोड़ रुपये से निर्यात की तुलना में, 2006-07 में 34615 करोड़ रुपये के निर्यात किए गए हैं, जिनमें 52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष 2007-08 के लिए विशेष आर्थिक जोनों से 67088 करोड़ रुपये के निर्यात होने का अनुमान है।